RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
फरवरी
18
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

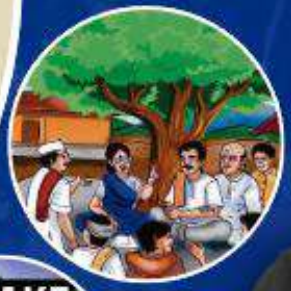

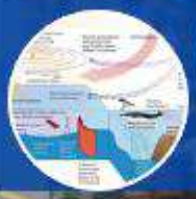

By Ankit Avasthi Sir

कांगो: M23 विद्रोही / Congo: M23 rebels

संदर्भ:

हाल ही में **M23 विद्रोही** पूर्वी **कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य** के दूसरे सबसे बड़े शहर **बुकावु** में प्रवेश कर **क्षेत्रीय गवर्नर कार्यालय पर कब्जा** कर लिया है।

M23 विद्रोही: परिचय और विवाद

परिचय:

- **M23 (March 23 Movement)**, **डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC)** के खनिज संपन्न पूर्वी क्षेत्र में सक्रिय 100 से अधिक सशस्त्र समूहों में से एक है।
- इसके नेतृत्व में Tutsi जातीय समूह का प्रभुत्व है, जो पूर्वी कांगो में एक अल्पसंख्यक समुदाय है।
- इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र उत्तर किवु प्रांत (North Kivu) है, जो **रवांडा और युगांडा** की सीमा से सटा हुआ है।
- **संयुक्त राष्ट्र (UN)** के अनुसार, इस समूह में 8,000 से अधिक लड़ाके हैं।

नामकरण और उत्पत्ति:

- इसका नाम **23 मार्च 2009** को हुए **शांति समझौते** पर आधारित है।
- यह समझौता National Congress for the Defence of the People (CNDP) नामक Tutsi-नेतृत्व वाले विद्रोही समूह और कांगो सरकार के बीच हुआ था।
- इस समझौते के तहत, बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व और पूर्व विद्रोहियों के कांगो सेना में समावेश का वादा किया गया था।

विवाद और आरोप:

- यह आरोप लगाया जाता है कि **रवांडा सरकार गुप्त रूप से M23 विद्रोहियों का** समर्थन कर रही है, जिससे क्षेत्र में संघर्ष और अधिक बढ़ रहा है।

M23 विद्रोह और कांगोली सेना से संघर्ष

विद्रोह की उत्पत्ति:

- **M23 विद्रोही समूह 2012 में बना**, जब पूर्व CNDP (National Congress for the Defence of the People) सैनिकों ने कांगो सरकार के खिलाफ बगावत कर दी।
- इन विद्रोहियों का आरोप था कि **2009 के शांति समझौते** को लागू नहीं किया गया, जिसमें:
  - Tutsi लड़ाकों को कांगो सेना में शामिल करने,
  - अल्पसंख्यकों की रक्षा, और
  - संसाधनों के न्यायसंगत वितरण का वादा किया गया था।

लड़ाई और उद्देश्य:

- M23 का दावा है कि उसका मुख्य उद्देश्य **कांगो के तुत्सी और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा करना** है।
- समूह का कहना है कि वह 1994 के रवांडा नरसंहार के बाद DRC भागे हुए Hutu विद्रोही समूहों से तुत्सियों की रक्षा करना चाहता है।
- 1994 में रवांडा में **Tutsi समुदाय के खिलाफ हुए नरसंहार** में हुतु चरमपंथियों ने लाखों तुत्सियों की हत्या कर दी थी।
- इसके बाद कई हुतु विद्रोही **DRC (कांगो) में भाग गए**, जहां वे अब भी सक्रिय हैं, और M23 इन्हें तुत्सियों के लिए खतरा मानता है।

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) –

भौगोलिक महत्व:

- DRC **अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश** और **दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देश** है।
- इसका **अटलांटिक महासागर के साथ एक छोटा तट** है।
- यह **9 देशों से घिरा हुआ** है:
  - **उत्तर**: मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण सूडान
  - **पूर्व**: युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया
  - **दक्षिण-पूर्व**: ज़ाम्बिया
  - **दक्षिण-पश्चिम**: अंगोला

राजधानी और प्रमुख नदी:

- **किनशासा** इसकी राजधानी है, जो कांगो नदी के किनारे स्थित है।
- **कांगो नदी अफ्रीका की एकमात्र नदी है, जो दो बार भूमध्य रेखा (Equator) को पार करती है।**

भाषा और संस्कृति:

- **आधिकारिक भाषा**: फ्रेंच
- **अन्य प्रमुख भाषाएँ**: किंतुबा, लिंगाला, स्वाहिली, त्शिलुबा

आर्थिक और खनिज संपदा:

- **कटांगा पठार** प्रमुख खनन क्षेत्र है।
- DRC खनिज संसाधनों से भरपूर है, यहां **कोबाल्ट, तांबा, टिन, रेडियम, यूरेनियम और हीरे** पाए जाते हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे समृद्ध खनिज स्रोतों वाले देशों में से एक बनता है।

वैवाहिक बलात्कार / Marital Rape

संदर्भ:

"**छत्तीसगढ़** उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आईपीसी की **धारा 375** के तहत **वैवाहिक बलात्कार** से मिली छूट **धारा 377** पर भी लागू होती है, जिससे विवाह के भीतर गैर-सहमति से किए गए अप्राकृतिक यौन संबंध को प्रभावी रूप से **अपराध की श्रेणी से बाहर** कर दिया गया है।"

Marital Rape: कानूनी स्थिति और प्रावधान

परिचय:

- **वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape)** एक प्रकार की **घरेलू हिंसा (Intimate Partner Violence)** है, जिसमें पति-पत्नी के बीच बिना सहमति के यौन संबंध या यौन उत्पीड़न शामिल होता है।
- भारत में इसे अपराध नहीं माना गया है, लेकिन यदि पति-पत्नी अलग रह रहे हों, तो पत्नी की सहमति के बिना संबंध बनाना बलात्कार (Rape) की श्रेणी में आता है।

कानूनी स्थिति:

भारतीय दंड संहिता (IPC)

- **धारा 375(2)**: यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी (जो 15 वर्ष से अधिक की हो) के साथ यौन संबंध बनाता है, तो इसे बलात्कार नहीं माना जाएगा।
- **भारतीय न्याय संहिता (BNS)**: इसमें भी वैवाहिक बलात्कार से पति को छूट दी गई है, लेकिन स्वतंत्र विचार बनाम भारत सरकार (2017) मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार सहमति की न्यूनतम **आयु 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष** कर दी गई है।

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005: हालांकि वैवाहिक बलात्कार अपराध नहीं है, लेकिन महिला अपने सम्मान, यौन शोषण, या अपमान के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत न्याय की मांग कर सकती है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का धारा 377 पर फैसला (2024)

1. **ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा:** हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को IPC की धारा 375 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), और 304 (हत्या के समान अपराध) के तहत दोषी ठहराने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया।
2. **वैवाहिक बलात्कार अपवाद:** अदालत ने IPC धारा 375 के वैवाहिक बलात्कार अपवाद का हवाला दिया, जिसमें पति द्वारा पत्नी के साथ गैर-सहमति से यौन संबंध अपराध नहीं माना जाता।
3. **धारा 377 के तहत अपराध नहीं:**
    - अदालत ने फैसला सुनाया कि पति द्वारा पत्नी के साथ जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध (धारा 377) अपराध नहीं है।
    - यह निर्णय **सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले** पर आधारित था, जिसने **सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था**।

वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के पक्ष और विपक्ष में तर्क

अपराध घोषित करने के पक्ष में:

1. **स्वायत्तता का उल्लंघन:** प्रत्येक व्यक्ति को यौन संबंधों के लिए सहमति देने या इनकार करने का अधिकार है, चाहे वह विवाह में हो या नहीं।
    - **सुप्रीम कोर्ट (2018, नवतेज जौहर मामला)** ने यौन स्वायत्तता को बरकरार रखा, जिसे विवाह में भी लागू किया जाना चाहिए।
2. **सुप्रीम कोर्ट का रुख**: इंडिपेंडेंट थॉट केस (2017) में नाबालिग पत्नी के साथ वैवाहिक बलात्कार को अपराध माना गया था, जिससे सहमति की अनिवार्यता को बल मिला।
3. **कानून के समक्ष समानता**: पतियों को छूट देना **संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 15 (लैंगिक भेदभाव का निषेध), और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार)** का उल्लंघन करता है।
4. **POCSO और बाल संरक्षण**: नाबालिगों के लिए सहमति के बिना यौन संबंध अपराध है, तो इसे वयस्क विवाहित महिलाओं पर भी लागू किया जाना चाहिए।

अपराध घोषित करने के विरोध में:

1. **वैवाहिक संस्था के लिए खतरा:** इसे अपराध बनाने से **वैवाहिक संबंधों में अस्थिरता** आ सकती है और विवाह संस्था कमजोर हो सकती है।
2. **मौजूदा कानून पर्याप्त हैं:** घरेलू हिंसा कानून पहले से ही यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करते हैं।
3. **झूठे आरोपों की संभावना:** यह प्रावधान **तलाक और कस्टडी मामलों में झूठे आरोपों** के रूप में गलत इस्तेमाल किया जा सकता है।
4. **सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएँ:** भारत **में विवाह को पारंपरिक रूप से यौन संबंधों से जोड़ा जाता है**, जिससे इस तरह का कानूनी बदलाव चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

पंचायती राज / Panchayati Raj

संदर्भ:

संविधान के अंगीकरण **के 75 वर्ष और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम** के 32 से अधिक वर्ष पूरे होने के बाद, **पंचायती राज संस्थान (PRI)** गिरावट के दौर से गुजर रहा है।

भारत में पंचायती राज:

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- प्राचीन भारत में पंचायती राज की जड़ें पाई जाती हैं, जहाँ ग्राम सभाएँ (पंचायतें) स्थानीय शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं।
- **महात्मा गांधी ने "ग्राम स्वराज"** की अवधारणा दी, जिसमें गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया।
- **1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम** द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला।

पंचायती राज की त्रि-स्तरीय संरचना:

1. **ग्राम पंचायत** – गाँव स्तर पर
2. **पंचायत समिति** – ब्लॉक (खंड) स्तर पर
3. **जिला परिषद** – जिला स्तर पर

73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992):

परिचय:

- **1992 के 73वें संशोधन** ने ग्रामीण भारत में **विकेन्द्रीकरण (Decentralization) को संस्थागत रूप** दिया।
- इस संशोधन के तहत **त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली** (ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर) स्थापित की गई।

मुख्य विशेषताएँ:

1. **नियमित चुनाव** – पंचायतों के लिए समयबद्ध चुनाव सुनिश्चित किए गए।
2. **50% आरक्षण** – महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए।
3. **लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण** – स्थानीय शासन को अधिक शक्तियाँ प्रदान की गईं।
4. **राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission)** – पंचायतों को वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए गठित।

पंचायतों के सामने चुनौतियाँ:

1. सीमित प्रशासनिक अधिकार

- राज्यों ने पंचायतों को पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण हस्तांतरित नहीं किया है।
- केवल **20% राज्यों** ने ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध **29 विषयों** को पंचायतों को सौंपा है।

2. वित्तीय स्वायत्तता में कमी

- **केंद्रीय हस्तांतरण ₹1.45 लाख करोड़ (2010-15) से बढ़कर ₹2.36 लाख करोड़ (2021-26) हुआ।**
- हालांकि, गैर-निर्धारित (untied) अनुदान 85% (तेरहवां वित्त आयोग) से घटकर 60% (पंद्रहवां वित्त आयोग) रह गया, जिससे स्थानीय निर्णय लेने की क्षमता सीमित हो गई।

3. स्थानीय जवाबदेही में गिरावट

- **जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) प्लेटफॉर्म** के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) पंचायतों को दरकिनार कर देता है।
- **पीएम-किसान योजना (₹6,000 वार्षिक सहायता)** जैसे कार्यक्रम पंचायतों की भागीदारी के बिना लागू किए जाते हैं।

4. शहरीकरण का प्रभाव

- **1990 में 75% भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, अब यह घटकर 60% रह गया।**
- नीति निर्माण में अब प्राथमिकता **शहरी प्रशासन और नगरपालिका सुधारों** को दी जा रही है, जिससे पंचायतों की भूमिका कमजोर हो रही है।

निष्कर्ष:

पंचायती राज प्रणाली **विकेन्द्रीकृत शासन** का एक प्रभावी उपकरण है, लेकिन वर्तमान में यह **वित्तीय, प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौतियों के कारण संकट** में है। पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय स्वायत्तता, क्षमता निर्माण और जवाबदेही तंत्र से सशक्त बनाकर इस व्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सकता है।

भूकंप / Earthquake

संदर्भ:

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में **4.0 तीव्रता का एक उथला भूकंप** दर्ज किया गया, जिसका **केंद्र 5 किलोमीटर की गहराई पर** था। इस हल्के झटके ने क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है।

भूकंप क्या है?

- **भूकंप पृथ्वी के हिलने या कांपने की एक प्राकृतिक घटना है।**
- यह तब होता है जब **संचित ऊर्जा मुक्त होती है**, जिससे **तरंगें (waves)** उत्पन्न होती हैं, जो सभी दिशाओं में फैलती हैं।

भूकंप से जुड़े प्रमुख बिंदु:

1. **हाइपोसेंटर (Hypocentre) या फोकस (Focus):** वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है।
2. **एपिसेंटर (Epicentre):**
   - फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु।
   - यह सबसे पहले भूकंप की तरंगों को अनुभव करता है।
   - मीडिया और रिपोर्टों में आमतौर पर एपिसेंटर को भूकंप का स्थान दिखाया जाता है।

भूकंप क्यों आते हैं?

1. **टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से:** जब **दो टेक्टोनिक प्लेटें एक-दूसरे से टकराती, दूर जाती या फिसलती हैं**, तो संचित ऊर्जा के मुक्त होने से भूकंप आता है।
2. मैग्मा (Magma) के निकलने या संकुचित होने से।
3. रासायनिक या परमाणु विस्फोटों से।

भूकंप के कारण:

1. **टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल:**
   - पृथ्वी की ऊपरी परत **(crust)** टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है, जो बहुत धीरे-धीरे हिलती हैं।
   - जब **घर्षण (friction)** के कारण ये प्लेटें किनारों पर फंस जाती हैं, तो **तनाव (stress)** बढ़ता है।
   - जब यह तनाव घर्षण को पार कर जाता है, तो प्लेटें फिसलती हैं, जिससे **भूकंप की ऊर्जा मुक्त होती है।**
2. **ज्वालामुखीय गतिविधि (Volcanic Activity):**
   - पृथ्वी के नीचे **मैग्मा** की गति दबाव में बदलाव लाती है, जिससे चट्टानों में दरारें पड़ती हैं।
   - जब ज्वालामुखीय द्वार अचानक खुलते हैं, तो **ज्वालामुखीय भूकंप** आ सकते हैं।
3. **मानव गतिविधियाँ (Human Activities):**
   a. सुरंग (Tunnel) निर्माण।
   b. बांधों और जलाशयों को भरना।
   c. भूतापीय ऊर्जा उत्पादन।
   d. तेल और प्राकृतिक गैस के लिए फ्रैकिंग
   e. अपशिष्ट जल निपटान

उथले भूकंप (Shallow Earthquake):

- उथले भूकंप **0 से 70 किमी** की गहराई पर उत्पन्न होते हैं।
- **मध्यम गहराई** वाले भूकंप 70 से 300 किमी पर और
- **गहरे भूकंप** 300 से 700 किमी की गहराई पर होते हैं।

विनाशकारी प्रभाव:

- **उथले भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं** क्योंकि इनकी तरंगें सतह तक पहुंचने से पहले कम ऊर्जा नहीं खोतीं।
- उदाहरण: **नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में आए 5.6 तीव्रता के भूकंप** ने 160 से अधिक लोगों की जान ले ली।

भूकंपीय तरंगें (Earthquake Waves):

शरीरिक तरंगें (Body Waves):

- ये **फोकस (Focus)** से उत्पन्न होती हैं और धरती के अंदर सभी दिशाओं में फैलती हैं।
- **प्रकार:**
  - **P-तरंगें (Primary Waves):** सबसे तेज़ होती हैं और ठोस, द्रव व गैस से होकर गुजर सकती हैं।
  - **S-तरंगें (Secondary Waves):** धीमी होती हैं और केवल ठोस माध्यम में यात्रा कर सकती हैं।

सतही तरंगें (Surface Waves):

- जब शरीर तरंगें सतह की चट्टानों से टकराती हैं, तो **नई तरंगें उत्पन्न होती हैं**, जिन्हें **सतही तरंगें** कहते हैं।
- **L-तरंगें (Love Waves):** ये पृथ्वी की सतह के साथ चलती हैं और **सबसे अधिक विनाशकारी** होती हैं।

भारत में बदलता रोजगार क्षेत्र / Changing Employment Sector in India

संदर्भ:

1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से **संगठित रोजगार का रुझान सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र की ओर** तेजी से बदल रहा है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) नीतियों के प्रभाव से **निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े**, जबकि **सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों की संख्या में गिरावट** दर्ज की गई।

भारत में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार परिवर्तन:

1. **भारतीय रेलवे में नियमित कर्मचारी:** 1990-91 में **16.5 लाख** कर्मचारी थे, जो 2022-23 में घटकर **11.9 लाख** रह गए।
2. **आईटी क्षेत्र में रोजगार वृद्धि:**
   - **2004-05 में:**
     - **TCS:** 45,714 कर्मचारी
     - **Infosys:** 36,750 कर्मचारी
   - **2023-24 में:**
     - **TCS:** 4,48,464 कर्मचारी
     - **Infosys:** 2,42,371 कर्मचारी
3. **बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव:**
   - **1991-92:** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल बैंक कर्मचारियों में **87% हिस्सेदारी** थी।
   - **2023-24:**
     - **निजी बैंक कर्मचारी:** 8.74 लाख
     - **सार्वजनिक बैंक कर्मचारी:** 7.5 लाख से भी कम

भारत में मध्यम वर्गीय श्रमिकों के बदलाव के कारण:

1. **आर्थिक उदारीकरण (Economic Liberalization):** 1991 के बाद की आर्थिक नीतियों से निजी क्षेत्र का विस्तार हुआ, जिससे अधिक नौकरियों के अवसर मिले।
2. **उच्च वेतन और सुविधाएँ (Higher Salaries and Benefits):** निजी क्षेत्र में वेतन, पदोन्नति और लाभ अधिक आकर्षक होने के कारण मध्यम वर्ग सरकारी नौकरियों की तुलना में इसे प्राथमिकता दे रहा है।
3. **बेहतर कार्य संस्कृति (Improved Work Culture):** निजी क्षेत्र में कार्य निष्पादन पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिससे महत्वाकांक्षी कर्मचारियों को अधिक अवसर मिलते हैं।
4. **सीमित सरकारी नौकरियाँ (Limited Public Sector Jobs):** सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों की वृद्धि धीमी हो गई है, और इन पदों के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है।
5. **उद्यमिता के अवसर :** स्टार्टअप और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलने से कई लोग निजी व्यवसायों और स्वरोजगार की ओर आकर्षित हुए हैं।

भारत के सामने चुनौतियाँ:

1. **कृषि क्षेत्र में रोजगार (Employment in the Agriculture Sector):**
   - कृषि क्षेत्र से श्रमिकों का अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है।
   - **PLFS रिपोर्ट:** कृषि में श्रमिकों की हिस्सेदारी **1993-94 में 64%** से घटकर **2018-19 में 42.5%** हो गई थी, लेकिन **2023-24 में बढ़कर 46.2%** हो गई।
2. **असंगठित सेवाओं में वृद्धि (Increase in Informal Sector Jobs):**
   - भारत में **85% श्रमिक असंगठित क्षेत्र** में कार्यरत हैं, जो देश की GDP में आधे से अधिक का योगदान देते हैं।
   - समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की अधिक संख्या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है।

भारत में असंगठित क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी के कारण:

1. **अकुशल श्रमिक (Unskilled Labour):**
   - भारत की शिक्षा प्रणाली व्यावहारिक कौशल की बजाय सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक जोर देती है, जिससे स्नातक छात्र उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होते हैं।
2. **ग्रामीण-शहरी विभाजन (Rural-Urban Divide):** दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और औद्योगिक अनुभव के अवसर सीमित हैं।
3. **तकनीकी परिवर्तन:** गिग इकॉनमी (Gig Economy) और अस्थायी रोजगार के नए अवसर असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं।
4. **लचीलापन (Flexibility):** कई श्रमिक अस्थायी नौकरियों को पसंद करते हैं क्योंकि इनमें लचीलापन होता है, हालांकि इनमें स्वास्थ्य सुविधाएँ और पेंशन जैसी सुरक्षा उपलब्ध नहीं होती।

हिंद महासागर क्षेत्र / Indian Ocean Region

संदर्भ:

भारत, सिंगापुर और ओमान के साथ मिलकर **मस्कट** में **8वें हिंद महासागर सम्मेलन (IOC)** की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन में **30 देशों के विदेश मंत्री** क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

हिंद महासागर:

भौगोलिक परिचय:

1. **तीसरा सबसे बड़ा महासागर: 9,600 किमी** (बंगाल की खाड़ी से अंटार्कटिका तक) और **7,800 किमी** (दक्षिण अफ्रीका से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तक) फैला हुआ है।
2. **तटरेखा (Coastline):** कुल **70,000 किमी** की तटरेखा, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी देश शामिल हैं।
3. **जनसंख्या और तटीय प्रभाव (Population & Coastal Influence):** यह क्षेत्र **विश्व की 35% जनसंख्या** और **40% वैश्विक तटरेखा** का घर है।

ऐतिहासिक एवं सभ्यतागत महत्व:

1. **भारत के नाम पर नामकरण:** महासागर का नाम "भारत" से लिया गया है, जो इसके प्राचीन व्यापारिक और सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है।
2. **प्राचीन व्यापार मार्ग:** प्रथम सहस्राब्दी से यह भारत, अरब देशों, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाला प्रमुख व्यापार मार्ग रहा है।
3. **रेशम मार्ग और मसाला व्यापार (Silk Route & Spice Trade):** हिंद महासागर यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था।

रणनीतिक महत्व (Strategic Importance):

1. **वैश्विक व्यापार मार्ग (Global Trade Route):**
   - विश्व के **70% कंटेनर ट्रैफिक** का संचालन इसी महासागर से होता है।
   - भारत का **80% बाहरी व्यापार** और **90% ऊर्जा आयात** इसी मार्ग से होता है।
2. **तेल आपूर्ति मार्ग (Oil Supply Routes):**
   - पश्चिम एशिया से भारत, चीन, जापान और यूरोप के लिए महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग हिंद महासागर से गुजरते हैं।
3. **महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट्स:**

- **होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz - ईरान-ओमान):** तेल निर्यात के लिए अत्यंत आवश्यक।
- **बाब अल-मंडेब (Bab el-Mandeb - यमन-जिबूती):** लाल सागर और स्वेज नहर का प्रवेशद्वार।
- **मलक्का जलडमरूमध्य:** पूर्वी एशिया के व्यापार के लिए मुख्य मार्ग।

हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका:

1. **SAGAR पहल (2015):**
   - **SAGAR (Security and Growth for All in the Region)** को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया।
   - इसका उद्देश्य **समुद्री स्थिरता** को बढ़ावा देना और सभी देशों के लिए सुरक्षा व विकास सुनिश्चित करना है।
2. **नौसैनिक क्षमताएं और क्षेत्रीय सुरक्षा:**
   - भारतीय नौसेना **संयुक्त सैन्य अभ्यास** आयोजित करती है, जैसे:
     - **मिलन (MILAN)** - बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास।
     - **मालाबार (Malabar)** - भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक अभ्यास।
     - **वरुण (Varuna)** - भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास।
3. **आर्थिक और व्यापारिक नेतृत्व:**
   - भारत **सागरमाला परियोजना** के तहत बंदरगाहों का विकास कर रहा है।
   - **ब्लू इकोनॉमी** (Blue Economy) को बढ़ावा देकर महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित कर रहा है।
4. **आपदा राहत और मानवीय सहायता:**
   - प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों में **बचाव और राहत अभियान** चलाने में भारत अग्रणी है।
   - सुनामी, चक्रवात और भूकंप जैसी आपदाओं में प्रभावित देशों की मदद करता है।
5. **कूटनीतिक और रणनीतिक गठबंधन:**
   - भारत **IORA (Indian Ocean Rim Association), BIMSTEC और QUAD** जैसे संगठनों के माध्यम से **सामूहिक समुद्री प्रशासन** को मजबूत कर रहा है।
   - क्षेत्रीय सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देकर हिंद महासागर में **सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित** कर रहा है।

दार्जिलिंग चिड़ियाघर: बायोबैंक / Darjeeling Zoo: Biobank

संदर्भ:

राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत देश का पहला **'बायो बैंक'** अब **पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क (दार्जिलिंग चिड़ियाघर)** में कार्यरत है। यह पहल **वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता के अध्ययन** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सकेगा।

भारत का पहला जीव बैंक (Biobank) - मुख्य बिंदु

स्थापना और संग्रह:

- यह **जुलाई 2024** में स्थापित किया गया।
- अब तक **23 प्रजातियों के 60 जानवरों** के **डीएनए, कोशिका और ऊतक नमूने** एकत्र किए गए हैं।

क्या संग्रहित किया जाता है?

- **लुप्तप्राय जीवों** की कोशिकाएं और ऊतक।
- **मृत जानवरों के प्रजनन कोशिकाएं (गैमीट्स)।**

भंडारण विधि:

- नमूनों को **-196°C पर तरल नाइट्रोजन** में **क्रायो-प्रिजर्वेशन** तकनीक से संरक्षित किया जाता है।
- ये नमूने **40 से 45 वर्षों तक** सुरक्षित रह सकते हैं।

पहल:

- **दार्जिलिंग चिड़ियाघर** द्वारा **वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के अंतर्गत सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (CCMB)** के सहयोग से।
- यह पहल **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के तहत चल रही है।

Biobank और Cryogenics का महत्व

1. अनुसंधान और विकास (R&D):

- **भविष्य में अनुसंधान के लिए संग्रह**: नमूने वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए सुरक्षित रखे जा सकते हैं।
- **अनुवांशिक परिवर्तन (Mutation) पर अध्ययन**: यह अनुसंधान **जीवों में आनुवंशिक बदलावों** को समझने में मदद करेगा।
- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव**: इससे यह जाना जा सकेगा कि **पर्यावरणीय बदलावों से जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।**

2. वन्यजीव संरक्षण:

- विलुप्त या संकटग्रस्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करने में मदद।
- जनसंख्या सुधार के लिए आनुवंशिक सामग्री का उपयोग।
- लुप्तप्राय प्रजातियों के प्रजनन कार्यक्रमों में सहायक।

3. क्रायोजेनिक्स (Cryogenics):

- नमूनों को -196°C तापमान पर क्रायो-प्रिजर्वेशन तकनीक से संरक्षित किया जाता है।
- यह तकनीक डीएनए, ऊतक और प्रजनन कोशिकाओं को दशकों तक संरक्षित रख सकती है।
- भविष्य में वैज्ञानिकों को संरक्षित कोशिकाओं से नए जीव विकसित करने में मदद मिल सकती है।

Biobank: जैविक नमूनों का भंडार

1. बायोबैंक: बायोबैंक एक जैविक नमूना संग्रहण केंद्र है, जहां **रक्त, डीएनए, कोशिकाएं, ऊतक और अंगों** को संरक्षित किया जाता है।

- यह **मानव एवं पशु नमूनों को इकट्ठा और सुरक्षित रखता है** ताकि वैज्ञानिक शोध किए जा सकें।

2. भारत में बायोबैंक (2024 तक): भारत में 19 पंजीकृत बायोबैंक कार्यरत हैं।

- इनमें **कैंसर कोशिका रेखाएं (Cell Lines), ऊतक (Tissues) और अन्य जैविक नमूने** संग्रहीत किए गए हैं।

3. वैज्ञानिक और चिकित्सा क्षेत्र में योगदान: शोधकर्ताओं को **आनुवंशिक (Genetic) जानकारी तक पहुंच** प्रदान करता है।

- **लक्षित चिकित्सा (Targeted Therapy) और व्यक्तिगत उपचार (Personalized Medicine) के विकास में मदद** करता है।

4. भारत में बायोबैंकिंग के लिए चुनौतियां: सख्त नियामक ढांचे की आवश्यकता ताकि नमूनों का संग्रहण, भंडारण और उपयोग **नैतिकता एवं वैश्विक मानकों के अनुरूप** हो।

- **डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित करना** ताकि जैविक नमूनों का दुरुपयोग न हो।

मुख्य चुनाव आयुक्त / chief election commissioner

संदर्भ:

भारत के चुनाव आयुक्त **ज्ञानेश कुमार** को आधिकारिक रूप से **अगला मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC)** नियुक्त किया गया है। कानून मंत्रालय द्वारा की गई इस नियुक्ति के साथ वह चुनाव आयोग का नेतृत्व करेंगे और **लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाएंगे**।

नियुक्ति:

1. **नियुक्ति प्रक्रिया:**
   - ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति** की बैठक में हुई।
   - उनकी नियुक्ति की पुष्टि **19 फरवरी 2025 को पद ग्रहण करने से दो दिन पहले** हुई।
   - यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब **चुनाव आयोग की नियुक्ति से संबंधित नए कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित** है।
2. **योग्यता और अनुभव:**
   - **मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) बनने से पहले**, वे वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त थे।
   - प्रशासन और शासन में उनका व्यापक अनुभव **चुनाव आयोग का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त बनाता है**।

ज्ञानेश कुमार: भारत सरकार में प्रमुख भूमिकाएँ:

1. **महत्वपूर्ण मंत्रालयों में सेवाएँ:**
   - **संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय**
   - **संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव, गृह मंत्रालय**
   - **सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय**
   - **सचिव, सहकारिता मंत्रालय**
2. **महत्वपूर्ण योगदान:**
   - **अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद लिए गए प्रमुख निर्णयों के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाई** (गृह मंत्रालय में सेवा के दौरान)।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324: यह निर्धारित करता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी

भारत में नए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति प्रक्रिया:

1. **चुनाव आयोग की संरचना:** भारत के चुनाव आयोग में **मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC)** और दो चुनाव आयुक्त होते हैं।
   - वर्तमान में **ज्ञानेश कुमार** और **सुखबीर सिंह संधू** चुनाव आयुक्त हैं।
2. **योग्यता मानदंड (Section 5):** केवल वर्तमान या पूर्व **सचिव-स्तर (Secretary-level) के अधिकारी** ही पात्र होंगे।
3. **परंपरा से अलग बदलाव:**
   - पहले वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त को CEC बनाया जाता था।
   - अब नए क़ानून के तहत **बाहरी उम्मीदवारों को भी चुने जाने की अनुमति** है।
4. **सर्च कमेटी की भूमिका (Section 6):**
   - अध्यक्ष: **कानून और न्याय मंत्री**
   - दो वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
   - यह समिति **पाँच नामों का पैनल तैयार** कर चयन समिति को सौंपती है।
5. **चयन समिति (Selection Committee) की संरचना:**
   - **प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)**
   - **एक कैबिनेट मंत्री**
   - **लोकसभा में विपक्ष के नेता**
   - यह समिति **पैनल से या बाहरी उम्मीदवार को भी नियुक्त कर सकती है**।

नए अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों के प्रभाव::

1. **सरकार की भूमिका और लचीलापन**
   - नया कानून सरकार को **मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति में अधिक स्वतंत्रता** देता है।
   - इससे चुनाव आयोग की स्वायत्तता को लेकर **निगरानी और बहस बढ़ सकती है**।
2. **विवाद की संभावना:** विपक्ष पहले से ही **मतदाता सूची, EVM और चुनाव आयोग की निष्पक्षता** पर सवाल उठाता रहा है।
   - **विपक्ष के नेता की चयन समिति में उपस्थिति** से चयन प्रक्रिया में बहस की संभावना बनी रहेगी।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !

RRB NTPC
TEST SERIES
100+ Mock Test
78 Sectional Test
40+ years PYPs
60+ Current affairs
TEST
Only
99
Per
Year
Buy Now

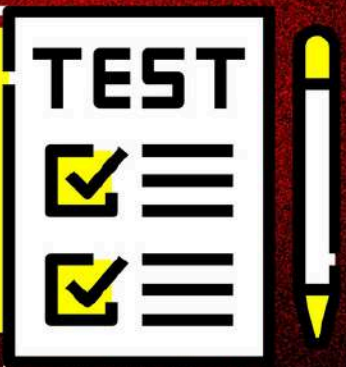

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

FOR ALL

- POLITY
- ECONOMICS
- HISTORY
- GEOGRAPHY

- DAILY LIVE CLASSES
- , WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs 4999/-

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

ONLY
POLITY
1499
RS
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,

Stenographer (Grades C & D)

Only at

99/-Year

Enroll Now !